माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

निविदा सूचना

मालवाहक वाहन किराये से लेना

विश्वविद्यालय समय-समय पर मालवाहक वाहन जैसे पिकअप वाहन, 14 फीट मालवाहक वाहन (लोडिंग ट्रक) तथा समकक्ष वाहन किराये पर लिए जाने हेतु पंजीकृत मालवाहक एजेसियों से एक वर्ष के अनुबंध के आधार पर निविदाएं आमंत्रित करता है। इच्छुक पंजीकृत मालवाहक एजेसिंया कार्यालयीन समय में **''कुलसचिव, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल** के नाम **रूपये 2,000/- (रूपये दो हजार-वापसी योग्य नहीं)** का डिमांड ड्राफ्ट देकर निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय के प्रशासन शाखा से प्राप्त कर सकते हैं या विश्वविद्यालय की वेबसाइट https://www.mcu.ac.in/ से डाउनलोड कर जमा कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने एवं जमा करने की अंतिम तिथि **18 नवंबर 2024 अपरान्ह 3.00 बजे** तक है। निविदा उसी दिन 4.00 बजे निविदाकारों के समक्ष खोली जायेगी। बिना कारण बताए समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

कुलसचिव

प्रपत्र–अ

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल
शूटिंग अकादमी के सामने बिशनखेडी , भोपाल 462033
फोन–0755–2574525

निविदा प्रपत्र–वर्ष 2024–25 हेतु

निविदा क्रमांक 2024/35 दिनांक 30/10 /2024

निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18/ 11/2024

1. ट्रांसपोर्ट एजेंसी का नाम एवं पता :– ....

....

2. फोन नं./मोबाइल नं. ....
3. रजिस्ट्रेशन नम्बर ....
4. पैन नम्बर ....
5. टिन नम्बर ....
6. जीएसटी नम्बर ....

शर्तेः–

1. ट्रांसपोर्टर एजेंसी को विश्वविद्यालय के साथ एक उभयपक्षीय अनुबंध निष्पादित करना होगा।
2. निविदा प्रपत्र में अपनी दरें समस्त कर शुल्क छोडकर देवें एवं करों (Tax) शुल्क का उल्लेख निविदा प्रपत्र में स्पष्टता के साथ पृथकता से देवें।
3. अनुबंध अवधि में पेट्रोल/डीजल के भाव बढने पर किसी भी प्रकार के किराये में वृद्धि नहीं की जायेगी।
4. निविदा के साथ सुरक्षा निधि के रूप में 25,000/– (पच्चीस हजार रूपये) का डिमांड ड्राफ्ट 'कुलसचिव माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल' के नाम देय हो, आवश्यक रूप से पृथक लिफाफे में बंद कर जमा करना होगा।
5. वाहन/गाड़ियॉ विश्वविद्यालय की संक्षिप्त सूचना के आधार पर लगानी होगी। गाड़ी उपलब्ध न कराने की दशा में सुरक्षा निधि राजसात करली जायेगी तथा विश्वविद्यालय अन्य संस्था से वाहन किराये पर लेने के लिए स्वतंत्र होगा। अन्य संस्था से वाहन लेने की दशा में देयकों का भुगतान अनुबंधकर्ता को करना होगा ।
6. वाहन/गाड़ियों के रोड टैक्स एवं इन्श्योरेंस पूर्ण होने चाहिए तथा ड्राईवर का लाइसेंस कामर्शियल हो। विश्वविद्यालय के मॉगने पर इन प्रपत्रों की फोटोप्रति देनी होगी।
7. **संस्था के पास स्वयं के कितने वाहन हैं, वाहनों के रजिस्ट्रेशन के साथ विवरण प्रस्तुत करें।**
8. बिल के साथ संलग्न ड्यूटी स्लिप पर गाडी उपयोगकर्ता के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
9. मालवाहक वाहनों के लिए विश्वविद्यालय से दिये जाने वाले आदेश में स्थानों का उल्लेख होगा और आदेशित प्रस्थान से गंतव्य स्थान के बीच की दूरी का प्रति कि.मी. अनुसार ही भुगतान करेगा। उदाहरण के लिए बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर से गोपनीय सामग्री को भोपाल लाने पर अथवा गोपनीय सामग्री को भोपाल से सागर, जबलपुर ले जाने पर केवल आदेशानुसार प्रमाणित तय की गई दूरी का भुगतान होगा। किसी भी परिस्थिति में वाहन के बिना सामग्री आने –जाने का व्यय वहन नहीं किया जायेगा।

निविदाकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा प्रबन्ध किये जाने वाले वाहन मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र छत्तीसगढ, उत्तरप्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों के नगरों में स्थित हो कि आदेशानुसार वह वाहन की व्यवस्था करवा सकें। वाहन के साथ विश्वविद्यालय का कर्मचारी भी रहेगा।

10. किसी भी दुर्घटना के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। अतएव वाहन चालक एवं उसके अधीनस्थ क्लीनर्स इत्यादि धूम्रपान/नशा आदि करने के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित होंगे तथा वाहन सहित सभी सामग्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे।

11. मालवाहक वाहनों की रीडिंग कि.मी. के आधार पर संचालित तथा उपरोक्त सामग्री प्राप्त की गई का उल्लेख बिल्टी पर आवश्यक रूप से करना होगा।

12. मालवाहक वाहनों से गोपनीय सामग्री के परिवहन हेतु ट्रांसपोर्ट कंपनी को स्वयं के व्यय पर वर्षा, धूप आदि से सुरक्षित रखने हेतु व्यवस्था करनी होगी। इसके लिये आवश्यक वाटर प्रूफ तिरपाल आदि की व्यवस्था हर वाहन में होनी चाहिए ।

13. सभी वाहन साफ–सुथरे एवं अच्छी स्थिति में होना आवश्यक है। वाहन 10 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए ।

14. वाहनों का मीटर कार्य कर रहा हो, यह आवश्यक है।

15. टीडीएस एवं जीएसटी की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

16. सभी फर्मो की न्यूनतम दरों को आधार बनाकर पैनल का निर्माण किया जाएगा। पैनल में प्रथम स्थान पर न्यूनतम दर वाली फर्मों को प्राथमिकता दी जावेगी।

17. मालवाहक वाहन को एक बार में कई जगहों पर डिलेवरी देनी होगी। वाहन द्वारा तय की गई दूरी के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा।

18. पूर्णरूप से भरे हुए सीलबन्द निविदा फार्म दिनांक 18.11.2024 को अपरान्ह 03.00 बजे तक स्वीकार किए जायेगें।

19. सीलबन्द निविदायें दिनांक 18.11.2024 को सांय 04.00 बजे निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

20. अपनी दरें संलग्न प्रपत्र में देवें।

21. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर कुलपति, मा.च.रा.प.एवं सं.वि.वि. भोपाल का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

22. निविदापूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा।

23. तीन वर्ष की आईटीआर रिटर्न की कॉपी संलग्न करें।

24. प्रपत्र अ एवं ब पृथक–पृथक बंद लिफाफे में जमा करें।

मुझे/हमारी संस्था को उक्त शर्तें मान्य है तथा हम इन शर्तों पर कार्य करने को तैयार हैं।

हस्ताक्षर/संस्था प्रमुख एवं सील

निविदा दर प्रपत्र–ब

S. N.	SPECIFICATION	PICK UP	14 Feet Loading Truck	PICK UP Covered Container	14 Feet Loading Truck Covered Container
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Full day Local 8 Hrs. 80 Kms.				
2	Half day Local 4 Hrs. 40 Kms.				
3	Per Extra Hrs. Charges				
4	Per Extra Kms. Charges				
5	Out Station Charges Per Kms.				
6	Out Station Night Charges				
7	Other Conditions				
8	GST Rates				

हस्ताक्षर / संस्था प्रमुख एवं सील